राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 134/2020

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह
2. धन्नी देवी पत्नी हरफूल सिंह
3. कमलेश पुत्री हरफूल सिंह
4. मुन्नी पुत्री हरफूल सिंह
5. सरोज पुत्री हरफूल सिंह
6. सुशीला पुत्री हरफूल सिंह

जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम शिमला स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 459, 163 में प्रार्थीगण के पिता का नाम फूलचन्द के स्थान पर हरफूल सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2079 खाता सं. 459, 163 ग्राम शिमला पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व शिमला स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 459, 163 में प्रार्थीगण के पिता का नाम फूलचन्द के स्थान पर हरफूल सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व शिमला स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 459, 163 में प्रार्थीगण के पिता का नाम फूलचन्द के स्थान पर हरफूल सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:18:36 IST
Reason: SelfAttested